न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बूंदी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :– Cri.Reg.Case/453/2024
सी एन आर नंबर :– RJBD080011792024

निर्णय दिनांकः–10.03.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 132/2024 अन्तर्गत धारा 341, 323, 452 सपठित धारा 34 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. **अफताब** पुत्र जफर मोहम्मद, निवासी वार्ड नं.18 के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी (राज.) 2. **जुनेद उर्फ साइद** पुत्र राजू खान, निवासी बीरज पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) 3. **आशिक** पुत्र छीतर मोहम्मद, निवासी वार्ड नं.8 पिंजारों फकीरों की गली के. पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मोहम्मद फिरोज खान, अधिवक्ता अभियुक्त जुनेद श्री हफीज मोहम्मद शेख, अधिवक्ता अभियुक्त आशिक व आफताब

अपराध की तिथि	04.04.24
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	04.04.24
आरोप पत्र की तिथि	27.09.24
आरोप के विरचना की तिथि	27.09.24
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	07.12.24
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	10–03–26
निर्णय की तिथि	10–03–26
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	–

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनाक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	आफताब	10.05.2024	13—05—24	452 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	—	03 दिन जे.सी.
.2	जुनेद उर्फ साइद	10.05.2024	13—05—24	452 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	—	03 दिन जे.सी.
.3	आशिक	10.05.2024	30ध्12ध्99	452 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	—	03 दिन जे.सी.

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	जसराज सिंह	नक्शा मौका
अ.सा.—2	लोकेश	नक्शा मौका
अ.सा.—3	शक्ति सिंह	बयान 161 दं.प्र.सं.
अ.सा.—4	भवानी सिंह	परिवादी, एफआईआर, बयान 161 दं.प्र.सं., नक्शा मौका
अ.सा.—5	दशरथ सिंह	बयान 161 दं.प्र.सं.
अ.सा.—6	बांके बिहारी	बयान 161 दं.प्र.सं.
अ.सा—7	सरफुदीन	बयान 161 दं.प्र.सं.
अ.सा.—8	अब्दुल मजीद	बयान 161 दं.प्र.सं.

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —1	—	—

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—1	—	—

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	नक्शा मौका
2.	प्र.पी.—2	पुलिस बयान लोकेश
3.	प्र.पी.—3	पुलिस बयान शक्ति सिंह

4.	प्र.पी.–4	तहरीरी रिपोर्ट
5	प्र.पी.–5	एफआईआर
6	प्र.पी.–6	पुलिस बयान भवानी सिंह
7	प्र.पी.–6	पुलिस बयान दशरथ सिंह
8	प्र.पी.–7	पुलिस बयान बांके बिहारी
9	प्र.पी.–8	पुलिस बयान सरफुदीन
10	प्र.पी.–9	पुलिस बयान अब्दुल मजीद

(ख) प्रतिरक्षा :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

(ग) न्यायालय प्रदर्श :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

(घ) आवश्यक वस्तुयें :–

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	आर्टिकल–1	जप्ती कार्यवाही की सीडी

– :: निर्णय ::–

नोट :– पक्षकारान् के मध्य दिनांक 10.12.2025 को लोक अदालत की भावना से राजीनामा अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं. में हो जाने से राजीनामा पृथक से प्रमाणित कर अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के अपराध से जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया।

1. हस्तगत आपराधिक प्रकरण परिवादी भवानी सिंह द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 आरक्षी केन्द्र के.पाटन में पेश करने पर प्रारंभ हुआ। प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि आज दिनांक 04.04.2024 को समय 10–11 बजे के आसपास उसके रूम में दो लड़के एक जुनेद तथा दो लड़के अन्य आये व वे बांके बिहारी को नीचे ले जाने लगे तो उसने मना कर दिया। फिर वे नीचे चले गये और उसके साथ सोहेल उसके दोस्त तथा आसिफ व आशिक के घरवालों ने उसके साथ लात–घूंसों तथा लोहे के पाईप से मारपीट की। इन सभी लोगों ने उसे व उसके दोस्त बांके बिहारी तथा उसके भाई दशरथ के साथ उसके कमरे में उपर जाकर जान से मारने की धमकी दी व मारपीट की। उनके साथ मारपीट में जुनेद भी शामिल था, जिसके साथ लड़के पल्सर मोटर साईकिल से आये व मारपीट कर सभी भाग गये.....इत्यादि ।

2. उक्त तथ्यों के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में एफ.आई.आर. संख्या–132/2024 दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध

अंतर्गत धारा 341, 323, 452 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2024 को पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण अधिवक्ता को आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति उपलब्ध करवाई गई और अभियुक्तगण पर पत्रावली में उपलब्ध सामग्री के आधार पर धारा 341, 323, 452 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाये जाने से अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 452 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. का प्रसंज्ञान लिया गया और प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस आरोप सुनी जाकर पत्रावली पर संलग्न गवाहान के बयान, चोट प्रतिवेदन इत्यादि के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 452 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में बनना पाये जाने पर दिनांक 27.09.2024 को उक्त अपराध का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 08 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–9 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। तत्पश्चात् पक्षकारान् के मध्य दिनांक 10.12.2025 को लोक अदालत की भावना से राजीनामा अंतर्गत धारा 341, 323 भा.दं.सं. में हो जाने से राजीनामा पृथक से प्रमाणित कर अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के अपराध से जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध शेष धारा 452 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत विचारण अग्रसरण किया गया।

6. पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान द्वारा किये गये कथन को गलत होना जाहिर किया है। साथ ही यह भी कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

7. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है।अतः आरोपित अपराध में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

8. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में परीक्षित समस्त प्रमुख साक्षीगण पक्षद्रोही होकर अभियोजन का समर्थन नहीं करते हैं। गवाहान् के बयानों में विरोधाभास है। अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

9. सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु पर विवेचन किया जाना है—

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04.04.2024 को समय 10—11 बजे या उसके लगभग स्थान सलाम भाई के मकान के.पाटन में सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी भवानी सिंह के कमरे में घुसकर परिवादी पक्ष को सदोष अवरोध करने की तैयारी करके गृह अतिचार किया ?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिए उचित दंड क्या होगा?

10. उक्त विचारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये जाने का भार अभियोजन पक्ष पर है। सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू—4 भवानी सिंह, जो कि स्वयं परिवादी है, की साक्ष्य का अवलोकन करें तो इस साक्षी का यह कथन रहा है कि एक—डेढ़ साल पहले 10—11 बजे वह अपने मकान के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां से आफताब, जुनेद, आशिक निकल रहे थे, जिन्होंने उसके साथ गाली—गलौच व धक्का—मुक्की की, जिससे वह नीचे गिर गया और उसके चोटें आयी। इस पर गवाह को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित कर जिरह किये जाने पर इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 04.04.2024 को दिन के 10—11 बजे वह व उसका भाई शक्ति सिंह मकान के अंदर बैठे हों व जुनेद, आफताब व आशिक ने उनके मकान में घुसकर उसके व उसके भाई के साथ लकड़ी व सरियों से मारपीट की हो। गवाह ने रिपोर्ट प्रदर्श पी.4 का सी से डी भाग, पुलिस बयान प्रदर्श पी.6 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

11. प्रकरण का अन्य प्रमुख साक्षी पी.डब्ल्यू—3 शक्ति सिंह, जिसे अभियोजन की ओर से प्रमुख साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया गया है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। इस पर अभियोजन की ओर से गवाह को पक्षद्रोही कर की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 04.04.2024 को दिन के 10—11 बजे जुनेद, आफताब व आशिक उनके किराये के मकान के अंदर आये हों व उसके व उसके भाई के साथ लकड़ी व लोहे के पाईप से मारपीट की हो।

12. प्रकरण के अन्य प्रमुख साक्षी पी.डब्ल्यू—5 दशरथ सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं को घटना की जानकारी नहीं होना बताया है, जिस पर अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 04.04.2024 को दिन के 10—11 बजे उनके मकान के कमरे में जुनेद, आफताब व आशिक ने

आकर बांके बिहारी को कमरे से खींच कर ले जाने लगे हो व उनके मकान में घुसकर बांके बिहारी व उसके साथ मारपीट की हो।

13. प्रकरण के अन्य प्रमुख साक्षी पी.डब्ल्यू–6 बांके बिहारी, जिसे नीचे खींचकर ले जाने के कारण यह घटना घटित होना गवाहान कथन करते हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं को घटना की जानकारी नहीं होना कथन किया है। जिसे पक्षद्रोही घोषित कर की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि जुनैद व दो अन्य व्यक्तियों ने उसके कमरे में दिनांक 04.04.2024 को 10 से 11 बजे आकर उसे घसीटकर बाहर ले गये हों व मारपीट की हो। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.7 का ए से बी भाग सही होना बताया है।

14. अभियोजन की ओर से प्रमुख साक्षीगण के रूप में परीक्षित करवाये गवाह पी.डब्ल्यू–2 लोकेश, पी.डब्ल्यू–7 सरफुद्दीन व पी.डब्ल्यू–8 अब्दुल मजीद साक्ष्य में पक्षद्रोही होकर अभियोजन कहानी का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं।

15. धारा 452 भा.दं.सं. के अपराध के गठन हेतु किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति पर हमला या सदोष अवरोध की तैयारी से उसके घर में बिना अनुमति प्रवेश करना आवश्यक है, किन्तु पत्रावली पर आयी साक्ष्य के अनुसार स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यू–4 भवानी सिंह व अन्य प्रमुख गवाहान पी.डब्ल्यू–3 शक्ति सिंह व पी.डब्ल्यू–5 दशरथ सिंह द्वारा अभियुक्तगण का घर के अंदर आकर मारपीट करने के संबंध में कोई कथन न कर अपने पुलिस बयानों में उक्त तथ्य को गलत बताया है। हालांकि गवाह पी.डब्ल्यू–6 बांके बिहारी ने अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में घटना दिनांक को उसके कमरे में अभियुक्त जुनेद व दो अन्य का आकर उसे घसीटकर ले जाने का कथन करते हुए अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी.7 का ए से बी भाग सही होना कथन किया है, जिसमें यही अंकित है कि अभियुक्तगण उसके कमरे में आये व उसके साथ मारपीट की व फिर उसे घसीटकर ले गये, किन्तु यह गवाह आगे जिरह में स्वयं के साथ मारपीट गली में होना बताता है। इस प्रकार एक ओर तो यह गवाह अपने पुलिस बयान को सही बताता है, वहीं दूसरी ओर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के साथ मारपीट गली में करना बताता है, जो परस्पर विरोधाभासी तथ्य हैं। वहीं यह गवाह जिरह में आफताब, जुनेद व आशिक द्वारा मारपीट से इन्कार करता है। इस प्रकार इस गवाह की विश्वसनीय श्रेणी की नहीं पायी जाती है एवं न ही स्वयं परिवादी व अन्य चक्षुदर्शी साक्षी से ही समर्थित है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण मारपीट करने या हमला करने के उद्देश्य से परिवादी के मकान में घुसें हों। ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई संपूर्ण मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 04.04.2024 को समय 10—11 बजे या उसके लगभग स्थान सलाम भाई के मकान के.पाटन में सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी भवानी सिंह के कमरे में घुसकर परिवादी पक्ष को सदोष अवरोध करने की तैयारी करके गृह अतिचार किया हो। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 453 भा.दं.सं. के अपराध में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

17. अतः **अभियुक्तगण 1. अफताब** पुत्र जफर मोहम्मद, निवासी वार्ड नं.18 के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बूंदी (राज.), **2. जुनेद उर्फ साइद** पुत्र राजू खान, निवासी बीरज पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) व 3. आशिक पुत्र छीतर मोहम्मद, निवासी वार्ड नं.8 पिंजारों फकीरों की गली के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 452 भा.दं.सं. में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

18. अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 437ए दं.प्र.सं. 1973 के तहत निर्णय की दिनांक से 6 माह की अवधि के भीतर अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में 10,000/— रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश किए जाने का आदेश दिये जाते है। उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन जिला बून्दी

19. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **10 मार्च, 2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन जिला बून्दी